

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135 2767611

संख्या-

739

/FP/UK/ROAD/15503/2015 देहरादून दिनांक

16

सितम्बर 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद- अल्मोड़ा में खुंट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 हे० वन भूमि का लो०नि०पि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 11.10.2010।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 11.10.2010 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1197/12-1 दिनांक 10.09.2021 से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है :-

SL NO	OBJECTIONS	REPLY
1	In reply to para 01, no comments are made by the state govt. as the proposal has already been closed on 25-09-2017.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि मार्गदर्शी पैरा 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव को पुर्नजीवित करने की कृपा करें।
2	In reply to point no. 01, CA site suitability certificate, aerial distance certificate part-iv, part-v, SOI toposheet and digital map of CA area still not submitted in original Land schedule and muck disposal plan are not countersigned by DFO.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु 0.983 हे० वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। अतः क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना लागू नहीं है। मार्ग में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है, आरक्षित भूमि के लैंड शैडयूल का प्रपत्र अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर लिया गया है। मलवा निस्तारण प्रभागीय स्तर से हस्ताक्षरित है।
3	In reply to point no. 02, justification submitted by State govt. is not satisfactory as the villages are seems to be already connected and the proposal seems for another connectivity state govt. may submit the clarification in this regard.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग से ठाठ ग्राम संयोजित किया जाना है, जो मुख्य मार्ग से 1000 मीटर दूरी पर स्थित है, जिस हेतु मार्ग की नितान्त आवश्यकता है।
4	प्रस्तावित मार्ग की KML file गलत प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति प्रस्तावित मार्ग की सही KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	मार्ग की KML file सही कर पार्ट I के रोवशन KML file पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/15503/2015 तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा पत्रांक 1197/12-1 दिनांक 10.09.2021 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।